रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102020-222258 CG-DL-E-05102020-222258

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3086] No. 30861 नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 5, 2020/आश्विन 13, 1942 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2020/ASVINA 13, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3467(अ).—केन्द्रीय सरकार,भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45यख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, नामत:-

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर पदेन अध्यक्ष:
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक का उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति प्रभारी पदेन सदस्य;
- (ग) केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला भारतीय रिजर्व बैंक का एक अधिकारी पदेन सदस्य:
- (घ) प्रोफेसर आशिमा गोयल, प्रोफेसर इंद्रा गांधी अनुसंधान विकास संस्थान सदस्य;
- (ङ) प्रोफेसर जयंत आर. वर्मा, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद सदस्य; और
- (च) डॉ. शशांक भिड़े, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय आर्थिक अनुप्रयोग अनुसंधान परिषद, दिल्ली सदस्य।
- 2. पैराग्राफ 1 के खंड (घ) से (च) में दिए गए मौद्रिक नीति समिति के सदस्य अपने पद पर चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बने रहेंगे।

[फा. सं. 12/1/2016-एफएसएलआरसी]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल)

4737 GI/2020 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2020

- **S.O. 3467(E).**—In exercise of the powers conferred by section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby constitutes the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India, consisting of the following, namely:-
 - (a) Governor of the Reserve Bank of India—Chairperson, ex officio;
 - (b) Deputy Governor of the Reserve Bank of India, in charge of Monetary Policy—Member, ex officio;
 - (c) One officer of the Reserve Bank of India to be nominated by the Central Board—Member, ex officio;
 - (d) Prof. Ashima Goyal, Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research Member;
 - (e) Prof. Jayanth R. Varma, Professor, Indian Institute of Management, Ahmedabad—Member; and
 - (f) Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi— Member.
- 2. The Members of the Monetary Policy Committee referred to in clause (d) to (f) of Paragraph 1, shall hold office for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 12/1/2016-FSLRC]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)